2025:CGHC:44200–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1390/2015

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 1.8.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक: 1.9.2025

• नंदकेश्वर पिता शिवनारायण खैरवार, आयु लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम– डुमरखोला ,थाना–राजपुर जिला – बलरामपुर– रामानुजगंज छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

• राज्य छत्तीसगढ़,द्वाराः जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर– रामानुजगंज, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री विनीत कुमार पाण्डेय,अधिवक्ता
प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से	:	श्री विवेक मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगलपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

सीएवी निर्णय

द्वारा, न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद

1. वर्तमान दाण्डिक अपील अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन प्रस्तुत की गई है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,रामानुजगंज, जिला–सरगुजा, द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 174/2013 में दिनांक 22.9.2015 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधता, विधिमान्यता और औचित्यता को चुनौती दी गई है। जिसके द्वारा, अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध किया गया है:

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन	आजीवन कारावास और ₹ 500/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड राशि के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम

	कारावास।
टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4 के अधीन	3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹ 200/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड राशि के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा 5 के अधीन	3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹ 200/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड राशि के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

समस्त दण्डादेशों को साथ–साथ चलाया जाएगा

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षिप्त में, यह है कि दिनांक 27–28 मार्च, 2013 को या उसके आसपास, ग्राम डुमरखोला, पुलिस थाना राजपुर के अधिकारिता के भीतर, अभियुक्त ने कथित तौर पर श्रीमती परबतिया बाई को "टोनही" (चुड़ैल) बताकर प्रताड़ित किया। आगे यह भी आरोप है कि 27 और 28 मार्च, 2013 की मध्यरात्रि में, उसपर घातक हमला कर उसकी हत्या कारित की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन का का प्रकरण, संक्षिप्त में, यह है कि दिनांक 28.03.2013 को, मनोहर, आत्मज रामरतन खैरवार, निवासी ग्राम डुमरखोला, पुलिस थाना राजपुर, ने पुलिस चौकी डबरा, पुलिस थाना राजपुर में एक सूचना दर्ज कराई। उसने रिपोर्ट दी कि उसकी माता, श्रीमती परबतिया बाई, उसी गांव में उसकी भाभी फूलबसिया और भतीजी सुशीला के साथ अलग रहती थी। दिनाँक 27.03.2013 को, लगभग दोपहर 12:00 बजे, उसकी माता होली के त्योहार के अवसर पर उसके घर आई थीं और लगभग 03:00 बजे अपराह्न तक वहीं रहीं, जिसके बाद वह अपने घर लौट गईं। अगले दिन, शंकर नामक एक ग्रामीण ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि उसकी माता अपने घर में मृत पड़ी हैं। इस खबर से चिंतित होकर, शिकायतकर्ता, साथी ग्रामीणों चंद्रदेव और रविचंद के साथ, तुरंत घटनास्थल पर गया। पहुंचने पर, उन्होंने पाया कि उसकी माता, श्रीमती परबतिया बाई, सिर के दाहिने कनपटी पर एक गहरे घाव के साथ निर्जीव पड़ी थीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने घातक प्रहार किया था, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जब शिकायतकर्ता ने घटना के संबंध में अपनी भाभी फूलबसिया और भतीजी सुशीला से पूछताछ की, तो उन्होंने खुलासा किया कि दिनाँक 27.03.2013 की रात्रि भोजन के उपरांत, वे अपने रिश्तेदार देवरूप के घर सोने चली गई थीं। उन्होंने आगे बताया कि अभियुक्त को लंबे समय से श्रीमती परबतिया बाई पर संदेह था और वह यह मानता था कि वह टोनही है, जिसके कारण वह उन्हें प्रताड़ित करता था और अंततः इसी कारण से उनकी क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। मनोहर (अ.सा. 1) ने प्रकरण की रिपोर्ट पुलिस को दी, जिसके अनुपालन में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–01) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–02) पंजीबद्ध की गई। मृत्यु

समीक्षा (प्रदर्श पी–04) की कार्यवाही की गई और मृतक के शव को शवपरीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. सौरभ मंडिलवार (अ.सा. 15) द्वारा साबित शवपरीक्षण प्रतिवेदन(प्रदर्श पी/13 ए) के अनुसार, मृतक की मृत्यु का कारण कोमा था, और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। इसके पश्चात, अपीलार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया (प्रदर्श पी/15), जिसके अनुपालन में, मिट्टी, लाठी, अपीलार्थी के कपड़े और मृतक के कपड़े जब्त किए गए। उपर्युक्त जब्त किए गए वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार, लाठी पर कोई मानव रक्त नहीं पाया गया।

4. विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, अपीलार्थी के विरुद्ध उपर्युक्त अपराधों के लिए अधिकारिता वाले दाण्डिक न्यायालय के समक्ष अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अंततः विधि के अनुसार सुनवाई और निराकरण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने अपने अपराध से इनकार किया और यह कहते हुए बचाव प्रस्तुत किया कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उसे झूठा फंसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपराध को साबित करने हेतु, अभियोजन ने कुल 15 साक्षियों का परीक्षण कराया और 17 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए। अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अपने विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से इंकार किया, तथा निर्दोष होने और झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात, अपीलार्थी/अभियुक्त को निर्णय के प्रथम कण्डिका में वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में पूर्णतः असंधारणीय है,जैसे कि यह पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जो कि वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी के दोष की ओर अचूक रूप से इंगित करने वाली एक पूर्ण और सुसंगत शृंखला बनाने में असफल रहा है। यह तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की विवेचना करने में त्रुटि की है और अपीलार्थी को केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्ध करने की कार्यवाही की है, जबकि अवलंब लिए गए परिस्थितियों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। उन्होंने आगे तर्क किया हैं कि अभियोजन कथित अपराध में अपीलार्थी की किसी भी प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के निवास की

मृतक के निवास से निकटता, और पक्षकारों के मध्य पूर्व विवाद के अस्तित्व पर अत्यधिक अवलंब लिया है, जो कथित तौर पर मृतक की बकरियों के अपीलार्थी की कृषि भूमि में चरने जाने के कारण उत्पन्न हुआ था। यह अभियोजन का मामला था कि अपीलार्थी, शत्रुता रखते हुए और मृतक पर जादू–टोना करने का संदेह करते हुए, उससे द्वेष रखता था। यद्यपि, यह तर्क किया है कि ऐसा संदेह, भले ही इसे सत्य मान लिया जाए, दोषसिद्धि के लिए विधिक रूप से स्वीकार्य आधार नहीं हो सकता। उन्होंने आगे तर्क किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा कथित तौर पर कुछ ग्रामीणों के समक्ष की गई कथित न्यायिकेतर संस्वीकृति में साक्ष्यिक मूल्य का अभाव है, क्योंकि इसे विधि के अनुसार साबित नहीं किया गया है। अभियोजन कोई भी विश्वसनीय, स्वतंत्र और भरोसेमंद साक्षी प्रस्तुत करने में असफल रहा है जो ऐसी न्यायिकेतर संस्वीकृति की संपुष्टि कर सके, और यह साक्ष्य का एक मनगढ़ंत भाग प्रतीत होता है जिसे केवल एक अन्यथा कमज़ोर अभियोजन प्रकरण को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने आगे तर्क किया हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी की सूचना पर कथित रूप से उसकी कब्ज़े से बरामद की गई लाठी का कोई साक्ष्य परिणाम नहीं है। उक्त लाठी पर कोई रक्त के धब्बे या अपराध के साथ फोरेंसिक संबंध नहीं पाया गया, जिससे अपीलार्थी का अपराध कारित किए जाने से जुड़ाव साबित नहीं हो पाता है। जहां तक जादू–टोना के आरोप का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन ऐसा कोई भी ग्राह्य या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है जिससे यह स्थापित हो सके कि अपीलार्थी वास्तव में ऐसे विश्वास के अधीन था या मृतका किसी भी तरह से ऐसी प्रथाओं से जुड़ी थी। उन्होंने आगे तर्क किया हैं कि अभियोजन द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियां केवल अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करने वाली और उसके दोष के अलावा हर दूसरी परिकल्पना को खारिज करने वाली एक पूर्ण और अटूट शृंखला नहीं बनाती हैं। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि अनुमानों और अटकलों पर आधारित है एवं यह अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों का पूरजोर विरोध किया और यह तर्क किया कि अभियोजन ने परिस्थितियों की एक पूर्ण शृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की है जो अचूक रूप से अभियुक्त–अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करती है। यह तर्क किया है कि अभियोजन द्वारा अवलंब ली गई प्रत्येक परिस्थिति युक्तियुक्त संदेह से परे विधिवत रूप से साबित की गई है और इन परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा है कि वे अपीलार्थी के दोष की परिकल्पना के अनुरूप और उसकी निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत एक निर्णायक शृंखला बनाते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विवेचना करने के पश्चात्, दोषसिद्धि का निष्कर्ष उचित रुप से अभिलिखित किया है, और इस प्रकार दोषसिद्धि सुविचारित विश्लेषण और सुदृढ़ विधिक आधार पर आधारित है। आगे यह भी तर्क किया है कि आक्षेपित निर्णय में कोई विकृति,

अवैधता या अनियमितता नहीं है और यह माननीय न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। अतः, अपील को प्रारंभिक चरण पर ही खारिज किया जाना चाहिए।

9. हमने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

10. प्रथम अवधारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या मृतका की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी, जिसका उत्तर विचारण न्यायालय ने सकारात्मक रूप से दिया है। यह निष्कर्ष अ.सा. 15 डॉ. सौरभ मंडिलवार द्वारा साबित शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–13 ए) पर आधारित है। चूंकि यह अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित एक तथ्यात्मक निष्कर्ष है, यह न तो विकृत है और न ही अभिलेख के विपरीत है, और हम एतद्द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब, प्रश्न यह होगा कि क्या अपीलार्थी विचाराधीन अपराध का कर्ता है, जिसके लिए विचारण न्यायालय ने परिस्थितियों पर आधारित साक्ष्य का अवलंब लिया है, जिसमें अभियोगात्मक साक्ष्य का गहनतापूर्वक जांच किया गया है, जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा साबित पाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया है।

12. अ.सा. 1 मनोहर, जो मृतक श्रीमती परबतिया का पुत्र है, ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वर्तमान घटना से लगभग नौ से दस माह पूर्व, अपीलार्थी ने उसकी माता को लाठी से पीटा था। उसने आगे कथन किया कि घटना की तारीख को, घटनास्थल पर पहुंचने पर, उसने अपनी माता को मृत पाया। हालांकि, यह विचार करने योग्य है कि वह उस वास्तविक हमले का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई। अपने प्रति–परीक्षण के दौरान, अ.सा. 1 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराते समय, उसने घटना के संबंध में अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं किया था। उसने आगे स्वीकार किया कि अभियुक्त के घटनास्थल से भाग जाने के बाद ही उसे उसके विरुद्ध संदेह हुआ।

13. अ.सा. 11 कुमारी सुशीला का परीक्षण कथित न्यायिकेतर संस्वीकृति की साक्षी के रूप में किया गया है। अपने न्यायालयिक कथन में, उसने कथन किया है कि जिस समय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, अभियुक्त ने स्वयं उनके सामने स्वीकार किया कि उसने मृतक पर हमला किया था। मृतक के स्वभाव और सामान्य आचरण के संबंध में, उसने आगे कथन किया है कि परिवार के सदस्यों और

मृतक की दादी के मध्य अक्सर झगड़े हुआ करते थे। यद्यपि, उसने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया कि उसने अपीलार्थी–अभियुक्त को कभी भी मृतक की दादी को जादू–टोना करने वाली कहते या ब्रांडिंग करते हुए नहीं सुना था।

14. अ.सा. 13 शंकर को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपने परीक्षण में, उसने कथन किया है कि दुर्भाग्यपूर्ण रात को, मृतक के परिवार के सदस्य उसके निवास पर आए थे और उसे बताया था कि मृतक ने मद्यपान किया था और उसके प्रभाव में वह उनके साथ गाली–गलौज और झगड़ा कर रही थी। इसलिए, अपनी सुरक्षा और मन की शांति के लिए, उन्होंने रात उसके घर पर बिताने का फैसला किया था। इसके अतिरिक्त, साक्षी ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। उसने आगे स्पष्ट किया कि वह न प्रश्नाधीन वास्तविक घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है और न ही किसी व्यक्ति ने उसे हमले की घटना या मृतक की मृत्यु के परिस्थितियों के बारे में सूचित किया है।

15. अ.सा. 15 वह चिकित्सक है जिसने मृतक का शवपरीक्षण किया था। अपनी विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट, जिसे प्रदर्श पी/13 ए के रूप में चिन्हित किया गया है, में उन्होंने स्पष्ट रूप से अभिमत दिया है कि मृत्यु का कारण मृतक के सिर पर लगी चोटें थीं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि उन चोटों की प्रकृति मानववध थी, जिससे आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया गया। उनके अनुमान के अनुसार, मृत्यु का समय परीक्षण से लगभग 12 से 24 घंटे पहले था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजा नायकर विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (2024) 3 एससीसी 481** के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अभियोजन के प्रकरण के लिए जो एकमात्र परिस्थिति कुछ सहायता कर सकती है, वह वर्तमान अपीलार्थी की निशानदेही पर खंजर की बरामदगी है। हालांकि, जैसा कि पहले ही उपरोक्त व्यक्त किया गया है, उक्त बरामदगी भी एक खुली जगह से हुई है जहां सभी की पहुंच है। किसी भी स्थिति में, खंजर पर पाया गया रक्त मृतक के रक्त समूह से मेल नहीं खाता है। मुस्तकीम विरुद्ध राजस्थान राज्य के प्रकरण में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि रक्त रंजित हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती, जब तक कि अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या से उसका संबंध स्थापित न हो जाए। इस प्रकार, हम पाते हैं कि केवल रक्त रंजित हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति के आधार पर, यह नहीं कहा जा

सकता कि अभियोजन ने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का अपना भार निर्वहन किया है।"

17. साथ ही, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ठकोरे उमेदसिंग नाथुसिंग विरुद्ध गुजरात राज्य 2024 एससीसी आनलाइन एससी 320** के प्रकरण में बरामदगी और मृतक के रक्त के धब्बे नहीं पाए जाने से संबंधित विषय पर विचार किया है, और सुसंगत कण्डिका निम्नानुसार है:

"35. हमने बरामदगी से जुड़े संबंधित पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य का परिशीलन किया है और उनके परिसाक्ष्यों को अत्यधिक संदिग्ध पाया है। ए3 की निशानदेही पर बरामद की गई चाकू एक नाले से मिली थी जो एक खुली और सभी के लिए सुलभ जगह है। ए4 से संबंधित चाकू काजी छारा की पत्नी शोभनाबेन द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इस प्रकार इसे ए4 से नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए, इन बरामदगियों को किसी भी तरह से अभियोगात्मक नहीं माना जा सकता है। मुस्तकीम उर्फ सिराजुद्दीन विरुद्ध राजस्थान राज्य (2011) 11 एससीसी 724 में प्रकाशित, प्रकरण में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि रक्त रंजित हथियारों की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति ऐसे साक्ष्य का गठन नहीं कर सकती जिसे हत्या के आरोप के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने हेतु पर्याप्त माना जा सके। इस प्रकार हम बरामदगियों को अत्यधिक संदिग्ध और दोषपूर्ण पाते हैं। भले ही एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि ऐसी बरामदगियां की गईं थीं, लेकिन सीरोलॉजिकल रिपोर्ट के रूप में कोई निर्णायक परिस्थिति सामने नहीं आई, जिससे मृतक के रक्त समूह की उपस्थिति स्थापित हो सके और इसलिए वे अभियोजन के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि अभियोजन मदमाल वस्तुओं को सुरक्षित रखने की अनिवार्यता को स्थापित करने के लिए आवश्यक लिंक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा और इसलिए, बरामदगी असंगत हो गई।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. **देबप्रिया पाल विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (2017) 11 एससीसी 31** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद्यक पर अभिनिर्धारित किया था कि भले ही रक्त का धब्बा पाया गया हो, किंतु अभियुक्त या मृतक के रक्त समूह का पता नहीं लगाया गया था। सुसंगत कण्डिका निम्नानुसार है:

"तर्क के लिए, हम यह मान रहे हैं कि वे उस समय उपस्थित थे जब अपीलार्थी अपने घर से रक्त रंजित कपड़े लाया और पुलिस को दिए। जो महत्वपूर्ण है वह अपीलार्थी की दोषिता के लिए इन रक्त रंजित कपड़ों का अवलंब लिया है।

अभियोजन के अनुसार, इन रक्त रंजित कपड़ों पर रक्त समूह उस चादर पर पाए गए रक्त से मेल खाता था जिस पर मृतक व्यक्तियों में से एक का शव पाया गया था। अभिलेख से ज्ञात होता है कि यद्यपि दोनों मृतक व्यक्तियों का रक्त निकाला गया और जांच के लिए भेजा गया, लेकिन इस पर क्या रिपोर्ट आई और मृतक व्यक्तियों का रक्त समूह क्या था, यह ज्ञात नहीं है। ऐसी कोई रक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इतना ही नहीं, अभियुक्त व्यक्तियों का रक्त समूह भी सुनिश्चित नहीं किया गया था। भले ही हम यह मान लें कि चादर पर लगा रक्त मृतक का था, लेकिन इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह अपीलार्थी–अभियुक्त के रक्त समूह जैसा ही हो सकता है। इसलिए, केवल रक्त रंजित कपड़ों पर रक्त समूह का मिलान, जो कि चादर पर भी था, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाएगा कि अपीलार्थी ने ही अपराध कारित किया था।"

19. **शांताबाई व अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2008) 16 एससीसी 354** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"25. पांचवीं परिस्थिति के समर्थन में, अभियोजन ने डॉ. हनुमंत, जिन्होंने दिनाँक 15–8–1993 को मृतक गुणवंत के शव का शवपरीक्षण किया था, का परीक्षण कराया है। चिकित्सक ने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 41) में वर्णित अनुसार मृतक के शरीर पर तेरह चोटें देखीं। चिकित्सक के अभिमत अनुसार, मृत्यु का कारण मस्तिष्क में चोट और मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण कार्डियो–रेस्पिरेटरी विफलता से उत्पन्न आघात था। रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि मृतक के विसरा सामग्री में इथाइल अल्कोहल पाया गया था।

26. हम यह बता सकते हैं कि विवेचना अधिकारी ने वस्तुओं को जब्त करने के समय पत्थरों और कुल्हाड़ी, जो कथित अपराध के हथियार थे, पर उभरे हुए उंगलियों के निशानों को एकत्र करने की परवाह नहीं की और न ही उसने कथित अपराध के हथियारों पर यदि कोई उंगलियों के निशान पाए गए थे, तो उनकी तुलना के लिए अपीलार्थीगण के उंगलियों के निशान लिए थे। विवेचना अधिकारी द्वारा घटनास्थल से एकत्र किए गए वस्तु खुली जगह पर पड़े पाए गए थे जो सभी के लिए सुलभ थी। अभियोजन ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि कुल्हाड़ी, जो कथित अपराध का हथियार थी, और जो खुली जगह पर घटनास्थल पर पाई गई थी, ए–1, ए–2 और ए–3 से संबंधित थी। इस प्रकार,

अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह स्थापित नहीं कर पाया है कि ए–1, ए–2 और ए–3 ने अपराध करने में बरामद हथियारों का इस्तेमाल किया था।

28. रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट (प्रदर्श 72) से ज्ञात होता है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए कपड़ों पर मानव रक्त समूह 'बी' पाया गया था, जो कथित तौर पर अपीलार्थीगण के थे। उन कपड़ों पर रक्त समूह, मृतक के कपड़ों और विवेचना अधिकारी द्वारा घटनास्थल से जब्त किए गए मिट्टी के नमूने, कुल्हाड़ी, पत्थर, हत्थे आदि पर पाए गए रक्त समूह 'ओ' से मेल नहीं खाता था। विवेचना अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह ए–1 और पंच साक्षियों के साथ अपीलार्थीगण के कपड़े खोजने गए थे, तो अपीलार्थीगण के घर का ताला पुलिस पाटिल के पास रखा था जिसे उन्होंने बाद में खोला। इस दृष्टिकोण से, अभियोजन ने यह साबित नहीं किया है कि d अपीलार्थी–1 की सूचना पर पुलिस द्वारा कथित रूप से जब्त किए गए और खुली जगह में पड़े कपड़े, मृतक के कपड़ों और घटना स्थल से जब्त किए गए लेखों पर पाए गए मृतक के रक्त समूह 'ओ' से रंजित थे। अभियोजन इन परिस्थितियों को सुसंगत, संतोषजनक और विश्वसनीय साक्ष्य देकर साबित करने में विफल रहा है ताकि ए–1, ए–2 और ए–3 को अपराध का दोषी ठहराया जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. साथ ही, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **धनंजय शंकर शेट्टी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एससीसी 596** के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"9. एक अन्य परिस्थिति जो अपीलार्थी के विरुद्ध कथित थी, वह यह थी कि उसके घर से रक्त रंजित कपड़े और हथियार बरामद किए गए थे, किंतु विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने भी इस परिस्थिति पर कोई अवलंब नहीं लिया, क्योंकि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, उस पर पाया गया रक्त समूह मृतक के रक्त समूह से मेल नहीं खाता था।"

21. अभिलेख के परिशीलन और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि यद्यपि अभियोजन ने घटनास्थल से जब्त की गई मिट्टी, लाठी और मृतक के कपड़े प्रस्तुत किए हैं, लेकिन यह स्थापित करने के लिए फोरेंसिक साक्ष्य का पूर्ण अभाव है कि इन वस्तुओं पर पाए गए रक्त का मृतक के रक्त समूह से मिलान होता है। केवल रक्त के धब्बों की उपस्थिति, यह साबित किए बिना कि यह मृतक का मानव रक्त है, बरामदगी को असंगत बना देती है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी विफलता कथित बरामदगी के साक्ष्यिक मूल्य को तात्विक रूप से प्रभावित करती है। **कंसा बेहरा विरुद्ध उड़ीसा राज्य, (1987) 3 एससीसी 480** में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> "जब तक कपड़ों या हथियारों पर पाए गए रक्त के धब्बों को मृतक का रक्त साबित नहीं किया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि खोज युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त को दोषी ठहराती है।"

23. इसी प्रकार, **सत्तैया उर्फ सतीश राजन्ना करटल्ला विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2008) 3 एससीसी 210** में, यह अवधारित किया गया था:

> "कपड़ों या हथियार पर लगे रक्त के मृतक से संबंधित होने की पुष्टि करने वाली सीरोलॉजिकल रिपोर्ट के अभाव में, बरामदगी से अभियोजन को कोई महत्वपूर्ण सहायता नहीं मिली है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. पुनः, **विजय शंकर विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, (2022) 10 एससीसी 353** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोहराया:

> "अभियोजन की वैज्ञानिक साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करने में विफलता कि हथियार या कपड़ों पर पाया गया रक्त मृतक से मेल खाता था, बरामदगी की सत्यता और अभियुक्त के दोष के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न करती है।"

25. ये प्राधिकारिक उद्घोषणाएं यह पूर्णतः स्पष्ट करती हैं कि केवल रक्त रंजित वस्तुओं की बरामदगी, वैज्ञानिक संपुष्टि के बिना, दोषसिद्धि को यथावत रखने के लिए अपर्याप्त है, विशेषतया जब प्रकरण अन्यथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो।

26. यह दाण्डिक न्यायशास्त्र का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य के साथ परिस्थितियों की शृंखला अवश्य स्थापित करनी चाहिए, विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों में।

27. यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा **<u>शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य</u>**[1] के प्रकरण में प्रतिपादित निम्नलिखित पांच स्वर्णिम सिद्धांतों का उल्लेख करना लाभप्रद है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण को साबित करने के 'पंचशील' का गठन करते हैं और वे निम्नानुसार हैं:

> "153..... (1) वे परिस्थितियाँ जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए।
>
> यहां यह उल्लेख किया जाए है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियां 'अवश्य या चाहिए' और 'हो सकती हैं' स्थापित नहीं होनी चाहिए। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *शिवाजी सहदेव बोबाडे व एक अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य,* (1973) 2 एससीसी 793 में निम्नानुसार अवधारित किया गया था ।
>
> "निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय किसी अभियुक्त को तब तक दोषसिद्ध नहीं कर सकता जब तक कि वह दोषी 'होना चाहिए', न कि मात्र दोषी 'हो सकता है', और 'हो सकता है' तथा 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है तथा संदिग्ध अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है।"
>
> (2) स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना से ही सुसंगत होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना द्वारा स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।
>
> (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।
>
> (4) उन्हें सिद्ध किए जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए।
>
> (5) साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई भी युक्तियुक्त संदेह न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. अभियोजन द्वारा अवलंब लिए गए और विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि मामला गंभीर दुर्बलताओं से ग्रसित है। न्यायिकेतर संस्वीकृति के संबंध में, अ.सा. 11 कुमारी सुशीला, जो मृतक की पोती है, ने न्यायालयिक

---

1 (1984) 4 SCC 116

कथन किया है कि पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने मृतक पर हमला करने की बात स्वीकार की थी। हालांकि, ऐसी संस्वीकृति को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में की गई थी और इसे स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता। विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि जब तक न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के नहीं की जाती है, तब तक इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता है, और इसके अतिरिक्त, ऐसी संस्वीकृतियों को स्वतंत्र स्रोतों से संपुष्टि की आवश्यकता वाले कमजोर साक्ष्य का भाग माना जाता है। जहां तक अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य का संबंध है, यद्यपि अपीलार्थी से एक लाठी जब्त की गई थी, अभियोजन इसका साक्ष्यिक मूल्य साबित करने में विफल रहा है, क्योंकि इस पर कोई रक्त के धब्बे नहीं पाए गए थे, जिससे बरामदगी असंगत हो गई। आगे, यह आरोप कि अपीलार्थी को मृतक पर जादू–टोना करने का संदेह था, भी साबित नहीं हुआ है, क्योंकि अभियोजन के किसी भी साक्षी ने इस आशय का कुछ भी नहीं कहा है। अ.सा. 11 कुमारी सुशीला ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके सामने ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया गया था, और इसलिए, आरोप साबित नहीं हुआ है। इसी प्रकार, खेत की धुलाई के संबंध में अभियुक्त और मृतक के मध्य कथित विवाद भी स्थापित नहीं हुआ है। यह स्थापित विधि है कि संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता का स्थान नहीं ले सकता। वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि मृतक के पुत्र अ.सा. 1, मनोहर को मुख्य रूप से इस आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध संदेह था कि घटना के बाद अभियुक्त भाग गया था, अकेले ऐसा संदेह विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता है। किसी भी साक्षी ने पक्षकारों के मध्य किसी भी मौजूदा विवाद या कथित अपराध करने के हेतुक के बारे में साक्ष्य नहीं दिया है। जहां तक टोनही प्रताड़ना अधिनियम, 2005 की धारा 4 व 5 के अधीन अपराध का संबंध है, इस संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से अपर्याप्त है, अभियोजन साक्षीगण इसे साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। ठोस आरोप के अतिरिक्त अभिलेख पर पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार, हर दृष्टिकोण से, अभियोजन अपने साबित करने के भार का निर्वहन करने में पूर्णतया असफल रहा है। परिणामस्वरूप, यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त करने में कोई संकोच नहीं पाता है।

29. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है, और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज, जिला–सरगुजा, द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 174/2013 में दिनांक 22.9.2015 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा 4 व 5 के अधीन अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे अविलंब रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के अनुपालन में, अपीलार्थीगण को संबंधित न्यायालय के समक्ष ₹25,000/– प्रत्येक के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की दो जमानदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। यह बंधपत्र छह माह तक प्रभावशील रहेगा और इसमें यह वचनबंध शामिल होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति दिए जाने की स्थिति में, अपीलार्थी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

31. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख को आवश्यक सूचना एवं अनुपालनार्थ विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित करें।

सही/– **(रजनी दुबे)** **न्यायाधीश**	सही/– **(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)** **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**